HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11759/2026
CNR: RJHC020703712026 | URN: CRLMB / 21670U / 2026

Khushbu Dixit @ Neha W/o Ramdutt Dixit, Aged About 42 Years, R/o Dixshiton Ka Mohalla, Vatika, Police Thana Sanganer Sadar, Jaipur, At Present Tenant Shri Suraj Dhobi Ka Makan No. 55, Ma Karni Nagar, Police Thana Karni Vihar, Jaipur (Raj.) (Petitioner Is Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Neeraj Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

06/08/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी एन एस एस के अन्तर्गत पुलिस थाना **जवाहर नगर, जयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**20/2024** अपराध अन्तर्गत धारा **420, 406, 120–बी** भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता निर्दोष है, महिला है, प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुका है, प्रार्थीया/अभियुक्ता दिनांक 04.07.2026 से अभिरक्षा में है, पूर्व का कोई आपराधिक रिकोर्ड नहीं है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में प्रार्थीया/अभियुक्ता पर यह आरोप है कि शांति देवी की मृत्यु हो जाने के बावजूद उसके खाते में आ रही पेंशन राशि को अभियुक्ता ने शांति देवी के पुत्र के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर पेंशन राशि निरन्तर प्राप्त की।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, अभिरक्षाकी अवधि एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **खूशबू दीक्षित उर्फ नेहा पत्नी रामदत्त दीक्षित** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीया इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

107/Murari Lal Sharma